


# फर्द अहकाम

(नियम 26)

मज अदालत बन हायक कलक्टर मुकाम भीलवाड़ा

केस/क्र.सं. 21/4/25 बनाम शेखर

किस्म मुकदमा आदिवासी पत्र नं. 37 सन् 2025

— लगातार —   
21/4/25  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा

21/4/25


होने के कारण न्यायार्थ के वादी का वाद पुनः नम्बर पर लिख जाना उचित होगा) अतः जर्मी का जर्मनी पर स्वीकार किया जाकर जर्मी के वाद की पुनः नम्बर पर लेने का आदेश जारी किया जावे।

अतः जर्मी तरसीलदार भीलवाड़ा की ओर से पेटिका साका द्वारा दौरे के बरस निवेदन किया कि जर्मी/वादी निम्न पेशी दिनांक को स्वयं प्रकृत उनके आधीवक्ता पेशी दिनांक 21/4/25 को उपस्थित नहीं या पिछले जर्मनी पर को (बालि कामान जावे)

अप्रपक्षकारान् आधीवक्ता की बरस का चिन्तन एवं मनन किया गया तथा जर्मी द्वारा प्रस्तुत जर्मनी पर अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 वा. दीवानी का अवलोकन किया गया। जर्मी द्वारा प्रस्तुत जर्मनी पर अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 वा. दीवानी के विलम्ब की अवधि को क्षम्य करते हुये जर्मी का जर्मनी पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित उचित होगा है।

अतः उपरोक्त निवेदनानुसार जर्मी का जर्मनी पर अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 वा. दी. स्वीकार किया जाना है और जर्मी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद सं. 62/248 उम्मान कलाशचन्द्र बनाम सरकार की पुनः नम्बर पर लिखे जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय सरे वजलास सुनाया गया।

प्रभावली कंसल कुमार लेकर नम्बर से कम ही तथा मूल वाद की प्रभावली के साथ नदलीन्द्र हो।

  
21/4/25

सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा